48

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3114–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2015 – पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर जिला छतरपुर – प्रकरण क्रमांक 23 अ 67/2014–15

ओमप्रकाश उर्फ पप्पू पाठक
पुत्र रमाशॅकर पाठक ग्राम धमना
तहसील राजनगर जिला छतरपुर ---आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर, छतरपुर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 4 -1 -2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 23 अ–67/14–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–8–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि प्रभारी खनिज निरीक्षक, छतरपुर ने कलेक्टर छतरपुर को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदक ने ग्राम अकोना तहसील राजनगर की भूमि सर्वे

क्रमांक 59 रकबा 2.176 हैक्टर से 2000 घन मीटर रेत का उत्खनन कर संग्रह किया है । कलेक्टर छतरपुर ने प्रभारी खनिज निरीक्षक, छतरपुर की रिपोर्ट की छायाप्रति कराते हुये पत्र क्रमांक 1361/खनिज/2007 दिनांक 8-10-2007 से कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजनगर को प्रस्ताव दिये, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने प्रकरण क्रमांक 23 अ-67/14-15 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदक ने उपस्थित होकर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि कलेक्टर कार्यालय के जिन अभिलेखों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है, वह सुसंगत साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है इसलिये प्रकरण निरस्त किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने प्रकरण क्रमांक 23 अ-67/14-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21-8-2015 पारित किया तथा आवेदक की आपत्ति अमान्य करते हुये प्रकरण आगे सुनवाई हेतु नियत किया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उठाई गई यह आपत्ति सारभूत है अथवा नहीं - कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के अनुसार कलेक्टर व्दारा प्रेषित अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य नहीं है एंव धारा 63 के अनुसार द्वित्तीय साक्ष्य भी नहीं है

और धारा 74 के अनुसार लोक दस्तावेज भी नहीं है। विचार करने पर स्थिति यह है कि आवेदक व्दारा किये गये अवैध उत्खनन की जॉच में अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने इन दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया है अपितु कलेक्टर व्दारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1361/खनिज/2007 दिनांक 8-10-2007 को सूचना देने के रूप में लेकर प्रकरण जॉच एंव सुनवाई हेतु पॅजीबद्ध किया है तथा प्रकरण का पॅजीबद्ध होना यह नहीं दर्शाता है कि आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही कर दी गई है, अपितु प्रकरण पंजीबद्ध होने के वाद अनुविभागीय अधिकारी मौके की स्थिति का जायचा लेंगे तथा परखेंगे कि क्या वास्तव में अवैध उत्खनन् हुआ है यदि वह जॉच में उत्खनन् सही पाते हैं तब प्रकरण आगे चलाने योग्य होने से आवेदक को बचाव का समुचित अवसर देकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 247 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही विचारित करेंगे, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी राजनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 23 अ-67/14-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21-8-2015 में त्रृटि होना प्रतीत नहीं होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 23 अ-67/14-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21-8-2015 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाकर निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर